

**साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक
करने में न्यू मीडिया की भूमिका**



सत्र : 2022-2023

**एम.ए.चतुर्थ सेमेस्टर (जे.एम.सी.) के चतुर्थ
प्रश्न पत्र की प्रतिपूर्ति हेतु लघु शोध प्रबंध**

मार्गदर्शक।

डॉ. शिवकृपा मिश्रा (असिस्टेंट प्रोफेसर)।

पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

गुरु घसीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय।

बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तुतकर्ता

यश यादव

एम.ए.(जे.एम.सी.) चतुर्थ सेमेस्टर

अनुक्रमांक-21008129

नामांकन क्रमांक-GGV/18/0293

पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग गुरु घासीदास

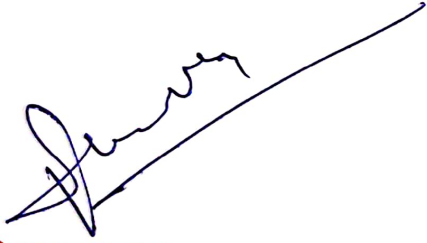
केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर

विभागाध्यक्ष
H.O.D.
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
Bull. of Journalist
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
Bilaspur (C.G.)
Bilaspur (C.G.)



प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि यश यादव एम.ए.चतुर्थ सेमेस्टर की पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग) की छात्र है। इन्होंने मेरे निर्देशन में "साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने में न्यू मीडिया की भूमिका" लघु शोध प्रबंध पूर्ण किया है।



विभागाध्यक्ष

डॉ.धीरज शुक्ला

पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय,
कोनी, बिलासपुर(छ.ग)



निर्देशक

डॉ. शिवकृपा मिश्रा (असिस्टेंट प्रोफेसर)

पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय,
कोनी, बिलासपुर(छ.ग)

अध्याय 1

1.1 परिचय

हम जितनी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के ज़रिये मनुष्य की पहुँच, विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में हर वो चीज़ जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुँच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है।

वर्तमान में भारत की बड़ी आबादी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करती है। भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उपयोग के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव है। इसके साथ ही अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेश में हैं, जिससे भारत में साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में इनकी जड़ तक पहुँच पाना कठिन होता है।

इक्कीसवीं सदी अपने साथ इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की क्रांति लेकर आई है। आज के युग में कम्प्यूटर और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े उपकरण तथा सुविधाएं मानव जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गए हैं। सच कहें तो इन सुविधाओं के बिना आधुनिक युग के कार्यकलापों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज के दौर में मानव की कम्प्यूटर तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि सामान्य बातचीत से लेकर व्यापार, व्यवसाय, सरकारी कामकाज, शिक्षा, बैंकिंग लेनदेन, खरीद-फरोख्त जैसी सभी गतिविधियां ऑनलाइन या डिजिटल माध्यमों से ही चल रही हैं। वर्ष 2020 तक भारत में इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या 70 करोड़ तक पहुंच गई थी और वर्ष 2025 तक इसके लगभग 97.4 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की दृष्टि से भारत, चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। नई प्रौद्योगिकी ने न केवल सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक जगत में क्रांति का संचार किया है, बल्कि अपराध जगत भी इससे अछूता नहीं रहा है। वस्तुतः अपराध जगत में कम्प्यूटर एवं सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने ऐसे तीव्रगामी